न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– मनोज, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्याः– नये वाद सं. 215/2023(**GCMS** 2013/00047)
गत वाद संख्या 4/2013 (**RCMS** 2013/00047)

वादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर लाल
2. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र रामेश्वर लाल
3. अशोक कुमार पुत्र रामेश्वर लाल सभी जाति ब्राहम्ण निवासियान आथूणा दरवाजा कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. धन्नाराम उर्फ धनराज पुत्र चुन्नीलाल
2. नोरतमल उर्फ नवरत्नमल पुत्र चुन्नीलाल फौत के कायम मुकाम :–
   2/1– चन्दा देवी पत्नि नोरतमल उर्फ नवरत्नमल
   2/2– राजेन्द्र पुत्र नोरतमल उर्फ नवरत्नमल
   2/3– विमल पुत्र नोरतमल उर्फ नवरत्नमल
   2/4– विनोद पुत्र नोरतमल उर्फ नवरत्नमल
3. नन्दलाल पुत्र चुन्नीलाल फौत के कायम मुकाम :–
   3/1– भंवरी देवी पत्नि नन्दलाल
   3/2– सम्पत पुत्र नन्दलाल
   3/3– जयप्रकाश पुत्र नन्दलाल
   3/4– जसकरण पुत्र नन्दलाल
4. मदनलाल पुत्र चुन्नीलाल
5. रूगराज उर्फ रघुराज पुत्र चुन्नीलाल फौत के कायम मुकाम :–
   5/1– मंजु पत्नि रूगराज उर्फ रघुराज
   5/2– विकास पुत्र रूगराज उर्फ रघुराज
   5/3– वतन पुत्ररूगराज उर्फ रघुराज
6. देवराज पुत्र चुन्नीलाल
7. शिम्भुलाल पुत्र चुन्नीलाल
8. नर्बदा देवी पत्नी रामकिशन
9. नागरमल पुत्र रामकिशन
10. अशोक कुमार पुत्र रामकिशन
11. राकेश कुमार पुत्र रामकिशन
    सभी जाति ब्राहमण निवासीयान ग्राम रा[illegible] [illegible]सील कुचामनसिटी।
12. उपपंजीयक, कुचामनसिटी
13. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

2 नये वाद सं. 04/2013 ओमप्रकाश बनाम धन्नाराम वगैरह
गत वाद सं. 04/2013 ओमप्रकाश बनाम धन्नाराम वगैरह

वाद बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. का. अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 24.07.2023

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि इस न्यायालय द्वारा दिनॉक 16.07.2018 को निर्णय एवं डिक्री सादिर की गई। उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादीगण ने अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के यहॉ दिनॉक 24.07.2019 को की गई। जो अन्दर मियाद पेश होने से इस न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनॉक 16.07.2018 को माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा अपील का दिनॉक 20.08.2019 को निर्णय कर इस न्यायालय का निर्णय व डिक्री 16.07.2018 को अपास्त किया गया। उक्त पारित निर्णय 20.08.2019 की द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर द्वितीय अपील संख्या 4650/2019 का दिनॉक 13.12.2022 को पारित निर्णय द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनॉक 20.08.2019 को खारिज किया गया तथा प्रकरण को प्रेषित कर आदेशित किया गया कि न्यायालय व्यहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 41 नियम 31 के अनुसरण में आलोच्य अपील में अपना स्पष्ट अभिमत पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे तब तक समस्त पक्षकारान को निर्देशित किया गया है कि वह अपील के अंतिम निस्तारण तक प्रश्नगत आराजियात के संबंध में आदिनॉक की राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखे,। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के उक्त निर्णय के क्रम में यह अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पुनः दर्ज की जाकर सुनवाई की गई, जो अपील सं. 170/2018/223/ नागौर धनराज बनाम ओमप्रकाश दर्ज होकर बाद सुनवाई दिनॉक 12.06.2023 को निर्णय पारित किया जाकर ***" अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 04/2013 (2013/00045) में पारित निर्णय व डिक्री दिनॉक 16.07.2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि उक्त प्रकरण में काउन्टर क्लेम के संबंध में जवाब का अवसर दिया जाकर, उसके आधार पर तनकी कायम की जाकर वाद, जवाब दावा व काउन्टर क्लेम के आधार पर तनकी अनुसार साक्ष्य—सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर नये सिरे से निर्णय पारित किया जावें। "***

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना—पत्र अ[illegible]रा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन वास्ते निर्णय व डिक्री [illegible]करने का प्रस्तुत किया तथा उक्त प्रार्थना—पत्र में कथन किया है कि डिक्री 16.0[illegible]018 के आधार पर कृषि भूमि ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 139 में से कायम [illegible]सरा नम्बर 1130/139 रकबा 1.8250

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हैक्टर खसरा नम्बर 23 रकबा 1.72 हैक्टर खसरा नम्बर 223 रकबा 1.72 हैक्टर खसरा नम्बर 705 रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.05 हैक्टर राजस्व अधिकार अभिलेख में प्रार्थीगण के नाम प्रविष्टि हटवाकर अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 ने अपने स्वयं के नाम दर्ज करवा लिये है, माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा इस न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनॉक 16.07.2018 को अपास्त कर दिया है, माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय के बाद पूर्व की स्थिति के तौर पर पुर्नस्थापित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अन्यथा अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को प्रभावहीन करने क आशय से अप्रार्थीगण गलत राजस्व प्रविष्टियो का दुरूपयोग कर खुर्द बुर्द कर देंगे और इससे उन्हे बेवजह जेरबार होना पड़ेगा और वाद की बाहुल्यताओ का विस्तार होगा।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा अपने निर्णय दिनॉक 12.06.2023 को पारित निर्णय अनुसार काउन्टर क्लेम के संबंध में जवाब का अवसर दिया जाकर, उसके आधार पर तनकी कायम की जाकर वाद, जवाब दाव व काउन्टर क्लेम के आधार पर तनकी अनुसार साक्ष्य–सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर नये सिरे से निर्णय पारित किया जावें। प्रकरण रिमाण्ड किया गया है, जिसकी पालना में वाद पुनः दर्ज कर पक्षकारान को तलब किया गया। इसी दौरान प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 144 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया। जिसकी पालना चाही गई, जबकि प्रकरण रिमाण्ड होने पर धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नही होते, चूँकि उपरोक्त निर्णय माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम निर्णय नही है, जिससे प्रार्थना–पत्र 144 सी.पी.सी. की पालना की जा सके।

वादी वकील ने उपस्थित होकर कथन किया है कि वें काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत नही करना चाहते। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित पक्षकार द्वारा दिनॉक 04.03.2014 को प्रस्तुत करने पर ही दिनॉक 9.9.2016 को तनकियात कायम की जाकर प्रतिवादी के हक हिस्से की भूमि को तनकी संख्या 2 में अभिलिखित किया गया है तत्पश्चात ही प्रकरण में साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत होने पर विधिवत पूर्ण सुनवाई पश्चात निर्णय पारित किया गया है। वर्तमान में उपरोक्त भूमि संबंधित पक्षकारान/खातेदारान के इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 16.07.2018 की पालना में जमाबंदी नकल सम्वत 2074–2077 अनुसार भूमि वादीगण के ग्राम राणासर पटवार मण्डल आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खाता संख्या 124 खसरा नम्बर 1130/139 रकबा 1.8250 हैक्टर, खसरा नम्बर 223 रकबा 1.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 705 रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.05 हैक्टर कुल रकबा 4.1550 हैक्टर अशोक कुमार पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राहम्ण सा. कुचामनसिटी खातेदार ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राहम्ण सा. कुचामनसिटी खातेदार राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राहम्ण सा. कुचामनसिटी खातेदार दर्ज चली आ रही है। खाता संख्या 373 खसरा नम्बर 1131/139 रकबा 1.3850 हैक्टर में अशोककुमार पुत्र रामकिशन हिस्सा- 1/32 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार, देवराज पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा- 1/8 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार, . धन्नाराम पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा- 1/8 जाति- ब्राह्मण सा.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

देह खातेदार, नन्दलाल पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा- 1/8 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार, नर्बदादेवी पत्नि रामकिशन हिस्सा- 1/32 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार, नागरमल पुत्र रामकिशन हिस्सा- 1/32 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार, नोरतमल पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा- 1/8 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार, मदनलाल पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा- 1/8 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार, रूगराज पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा- 1/8 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार, राकेशकुमार पुत्र रामकिशन हिस्सा- 1/32 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार, शिम्भूलाल पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा- 1/8 जाति- ब्राह्मण सा.देह खातेदार, चले आ रहे है।

इस प्रकार प्रकरण के विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रस्तुत जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम का जवाब ही प्रस्तुत नही करना चाहते तब पृथक से नई तनकी कायम की जाकर पुनः सुनवाई किये जाने के कोई औचित्य नही है। प्रकरण अवलोकन से स्पष्ट है कि वरवक्त विधिवत सुनवाई कर प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं काउन्टर क्लेम के आधार पर तनकी संख्या 2 कायम की जाकर ही तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत सुनवाई पश्चात ही निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। अतः न्यायालय का मत है कि पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनॉक 16.07.2018 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतः पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनॉक 16.07.2018 को यथावत रखा जाना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित है।

आदेश

इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री 16.07.2018 को यथावत रखा जाता है। पक्षकारान सूचित रहे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनॉक 24.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज, **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:44 IST
Reason: SelfAttested